

वन भूमि पर प्रस्तावित सड़क के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रपत्र / सूचनाओं का निवेदन

परियोजना का नाम :-	जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित शिवनन्दी से सिमतोली मिसिंग लिंक (सिमतोली से काण्डा) मोटर मार्ग स्टेज-प्रथम (लम्बाई 1.500 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--

संलग्न - 4

क्र०सं 0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
	विषय सूची मय प्रमाण-पत्र		
1.	प्रतिवेदन।	1	5
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र	2 से 2.4	6-9
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	10-11
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	12-14
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	5	15
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्रीफ का मानचित्र।	6	16-20
7	डिजिटल मैप व सी०डी०।	7	21-23
8	वैकल्पिक संरक्षण तलाश जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	8 व 9	24-27
9	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	10	28
10	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	29-31
11	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	32
12	बार चार्ट।	13	33-34
13	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	14	35+
14	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण एवं मूल्यंकन/सारांश/ वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्ष	15 से 15.6	36-40
15.	बीज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	16	41
16	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	17	42
17	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	17.1	43
18	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	18-19	44-45
19	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	46
20	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम समाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	21	47-48
21	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आकलन। (5.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	49
22	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	23 से 23.3	50-56
23	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	26	57-59
24	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	27	60
25	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	28	61
26	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	29	62
27	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	30	63

28	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	31	64
29	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कूटिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	32	65
30	लानान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	33	66
31	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	68
32	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	36	69
33	सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	38	70
34	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (100 हे० से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	71-72
35	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	41	74-80
36	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	42	87
37	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	43	88
38	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	46	89
39	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी०डी० पी०डी०एफ० फारमेट में उपलब्ध कराना।	48	